



क्षेत्रीय कार्यालय  
**उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर**  
**U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR**  
6-बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर-251001 (उ०प्र०)

संदर्भ सं०  
Ref. No. **1367/OA-255/Ashok Kumar/2023**

दिनांक  
Dated **16-01-2023**

To,

The Registrar  
National Green Tribunal  
Principal Bench  
New Delhi.  
E-mail : judicial-ngt@gov.in

**Sub.-Compliance to the direction issued by Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No. 255/2021 Ashok Kumar Vs Kartik Kumar & Anr. (E.A. No. 40/2022).**

Sir,

With reference to the subject mentioned above kindly find enclosed herewith the Action Taken Report in compliance of the order issued on 14.12.2022 by Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No. 255/2021 Ashok Kumar Vs Kartik Kumar & Anr. (E.A. No. 40/2022).


**Encl. : As above.**

Yours faithfully

**(Ankit Singh)**  
Regional Officer

**Copy to :**

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. Shri Pradeep Mishra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
4. Chief Environmental Officer (Circle-3), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

  
Regional Officer

**Action taken report regarding O.A. No. 255/2021 Ashok Kumar Vs Kartik Kumar & Anr. in reference of Hon'ble NGT order dated 01.11.2021**

By above mentioned O.A. No. 255/2021 Ashok Kumar Vs Kartik Kumar & Anr. petitioner Ashok Kumar resident of Vill. Rajpur Kalan, P.S. Jansath, District Muzaffarnagar raising a complaint that Shubham Kumar and Sagar Kumar Sons of Late Jatin Kumar have installed a Kolhu near his residence and for preparation for Gurr they are using rudimentary kind of Bhatti causing huge air pollution.

In reference of grievance raised by Ashok Kumar, Hon'ble NGT vide order dated 01.11.2021 states as follows :

***"In our view this matter may be examined by jurisdictional authority of State PCB by visiting the place and if it finds violation of environmental laws may take remedial action accordingly.***

***The Application is disposed of with the above observations/directions."***

As per the order dated 01.11.2021, on behalf of State PCB, Regional Office Muzaffarnagar, point wise action taken report are as follows :

1. In compliance of the Hon'ble NGT order dated 01.11.2021, visit of concerned Kolhu was carried out by authorised officials of UPPCB on dated 10.12.2021. As per the inspection reports, 02 kolhus were found violating CPCB guidelines of siting criteria and not having adequate height of stack for emission dispersion. The kolhus are operated by :

- (a) Sh. Devendra Pahalwan S/o Late Veer Singh resident of Vill. Rajpur Kalan, Tehsil Jansath, District Muzaffarnagar (On the land of Sh. Shubham Kumar and Sh. Sagar Kumar sons of Sh. Jitendra Kumar at Khasra No. 420, 427 and 434 of Vill. Rajpur Kalan).
- (b) Sh. Rajpal Singh S/o Sh. Shyam Singh resident of Vill. Rajpur Kalan, Tehsil Jansath, District Muzaffarnagar at Khasra No. 312 of Vill. Rajpur Kalan.

On the basis of the facts found during visit on dated 10.12.2021, recommendation for legal action under Air (Pollution Prevention and Control) Act 1981 as amended u/s 31A against both the kolhus was sent to Head Office, UPPCB Lucknow. (Recommendation reports annexed as **Annexure 1**). In continuation of above recommendations, UPPCB Head Office Lucknow issued show cause notices dated 14.02.2022 against both the kolhu operators under provision of Air (Pollution Prevention and Control) Act 1981 as amended u/s 31A.

- 2. Authorized officials of UPPCB re-visited the concerned kolhus on dated 02.01.2023. During visit, both kolhus were found violating the directions of show cause notices issued by board. On the basis of inspection report, recommendation for confirmation of show cause notices was sent to head office UPPCB vide this office letter dated 05.01.2023 against both the kolhus. (**Annexure 2**)

5. In continuation, closure direction was issued by head office UPPCB Lucknow vide letter dated 06.01.2023 against both the kolhus **(Annexure 3)**. In compliance of directions, both kolhus have been closed down on dated 06.01.2023. The requisite documents are enclosed herewith. **(Annexure 4)**

Action taken report in compliance of Hon'ble NGT order dated 01.11.2021 is forwarded for your kind perusal.

**(Sarvesh Kumar)**  
L.A.

**(Vipul Kumar)**  
A.E.E.

**Regional Officer**

## PHOTOGRAPHS OF KOLHU SEALING



Email : romuzaffarnagar@uppcb.in



क्षेत्रीय कार्यालय

दूरभाष : 0131-2436493

**उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर**  
**U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR**

6-बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर-251001 (उ०प्र०)

संदर्भ सं०  
Ref. No.

1330

आर. नं० 255 / अशोक कुमार / मु० नगर / 23

दिनांक

Dated 05-1-2023

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-3)  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
लखनऊ ।

**विषय: श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री श्यामसिंह निवासी ग्राम राजपुर कंला, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित कोल्हू के विरुद्ध जारी कारण बताओं नोटिस की पुष्टि किये जाने के संबन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं० एच71595/सी-3/वायु-440 / का०बा०नोटिस/मु०नगर/2022 दिनांक 14.02.2022 के द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस के संबन्ध में सन्दर्भित कोल्हू का स्थल निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 02.01.2023 को कराया गया निरीक्षण आख्या संलग्न है। निरीक्षण आख्या के अनुसार सन्दर्भित कोल्हू के विरुद्ध जारी कारण बताओं नोटिस का अनुपालन कोल्हू संचालक द्वारा किया जाता नहीं गया।

अतः श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री श्यामसिंह निवासी ग्राम राजपुर कंला, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित कोल्हू के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31(ए) के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच71595/सी-3/वायु-440/का०बा०नोटिस/मु०नगर/2022 दिनांक 14.02.2022 द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अंकित सिंह)  
क्षेत्रीय अधिकारी

बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच71595/सी-3/वायु-440/का0ब0नो0/मु0नगर/2022 दिनांक 14.02.2022 के माध्यम से श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री श्यामसिंह द्वारा संचालित कोल्हू इकाई के विरुद्ध जारी कारण बताओं नोटिस के संबन्ध में निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक आपके आदेशानुसार ग्राम राजपुर कंला में स्थापित कोल्हू का निरीक्षण दिनांक 02.01.2023 को अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा किया गया। उक्त कोल्हू द्वारा राज्य बोर्ड से जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.02.2022 के सम्बन्ध में अपना कोई प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त नहीं कराया गया है। निरीक्षण के समय कोल्हू प्रतिनिधि के रूप में श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री श्यामसिंह, निवासी ग्राम राजपुर कंला, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर उपस्थित रहे। निरीक्षण आख्या निम्नवत है:-

1. निरीक्षण में पाया गया कि कोल्हू ग्राम राजपुर कंला की आबादी से लगभग 10 मीटर की दूरी पर स्थापित एवं संचालित है।
2. उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कोल्हू स्वयं की जमीन में स्थापित कर संचालित किया जा रहा है, जिसका खसरा नं0 312 है।
3. निरीक्षण के समय कोल्हू संचालित पाया गया। कोल्हू में गन्ने का प्रयोग कर गुड़ का उत्पादन किया जाता है। गन्ने के रस को पकाने हेतु भट्टी स्थापित है, जिसमें ईंधन के रूप में गन्ने की पत्ती, खोई का प्रयोग किया जाता पाया गया। भट्टी पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में सम्बद्ध चिमनी की ऊंचाई भूतल से लगभग 15 फीट है, जो मानकों के अनुरूप नहीं है।
4. उक्त कोल्हू की स्थापना राज्य बोर्ड से अनुमति प्राप्त किये बिना ही किया गया है तथा कोल्हू का संचालन राज्य बोर्ड से जल एवं वायु सहमति के बिना अवैधानिक रूप से किया जा रहा है।
5. कोल्हू केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइड लाइन के विपरित स्थापित कर संचालित किया जा रहा है।
6. नवीनतम निरीक्षण के समय कोल्हू संचालक द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत कारण बताओं नोटिस का अनुपालन किये बिना ही कोल्हू का संचालन किया जा रहा है, उक्त कोल्हू आबादी के समीप संचालित होने से आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री श्यामसिंह निवासी ग्राम राजपुर कंला, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर के द्वारा संचालित कोल्हू के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथाशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओं नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय प्रेषित किया जाना उचित है।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

  
(दिवाकर देव गहलौत )  
जे0आर0एफ0

  
(इमरान अली)  
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी





क्षेत्रीय कार्यालय  
**उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर**  
**U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGA**  
6-बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर-251001 (उ०प्र०)

संदर्भ सं०  
Ref. No.  
सेवा में,

846/31/2021/अशोक कुमार बनाम कार्तिक कुमार (संलग्न 3/2021)

दिनांक  
Dated 18-12-2021

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ ।

**विषय:—बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच68733/सी-3/एनजीटी/77/2021 दिनांक 29.11.2021 के माध्यम से प्राप्त मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० संख्या 255/2021 अशोक कुमार बनाम कार्तिक कुमार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.11.2021 का अनुपालन के संबन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संबन्ध में अवगत कराना है उक्त प्रकरण आबादी के समीप कोल्हू संचालित होने के कारण वायु प्रदूषण के संबन्ध में है। तत्कम में कार्यालय द्वारा कोल्हू का निरीक्षण दिनांक 10.12.2021 कराया गया। निरीक्षण आख्या के अनुसार शिकायती कोल्हू श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री श्यामसिंह निवासी ग्राम राजपुर कंला, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा कोल्हू का संचालन किया जा रहा है, जो ग्राम राजपुर कंला की आबादी से लगभग 10 मीटर की दूरी पर स्थापित/संचालित है, जिस कारण आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है।

उक्त कोल्हू संचालन के विरुद्ध पूर्व में जनसुनवाई पोर्टल व प्रशासन एवं कार्यालय में सीधे शिकायत प्राप्त होने पर कोल्हू का निरीक्षण दिनांक 05.10.2021 को कराया गया था। निरीक्षण के समय कोल्हू केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अनुरूप स्थापित नहीं पाये जाने पर कार्यालय के पत्र संख्या 554/जी-104/आईजीआरएस/एमजैडआर/2021 दिनांक 11.10.2021 (प्रति संलग्न) के माध्यम से नोटिस निर्गत कर कोल्हू को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुरूप आबादी/शैक्षिक संस्थान, धार्मिक स्थल, अस्पताल आदि से 500 मीटर की परिधि के बाहर स्थापित किये जाने एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में भूतल से न्यूनतम 10 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त कोल्हू को दिये गये अनुपालन के संबन्ध में पुनः निरीक्षण दिनांक 12.11.2021 (आख्या संलग्न) को किया गया। निरीक्षण के समय कोल्हू संचालक द्वारा कार्यालय से जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं पाये जाने पर कार्यालय के पत्र संख्या 690/जी-104/आईजीआरएस/एमजैडआर/2021 दिनांक 16.11.2021 (प्रति संलग्न) द्वारा कोल्हू संचालक के विरुद्ध सी०आर०पी०सी० की धारा 133 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी, जानसठ को पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु कोल्हू संचालक द्वारा वर्तमान तक कोल्हू को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुरूप स्थापित नहीं किया गया है। कोल्हू का संचालन राज्य बोर्ड से जल एवं वायु सहमति प्राप्त किये बिना अवैधानिक रूप से किया जा रहा है।

अतः उक्त तथ्यों के दृष्टिगत श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री श्यामसिंह निवासी ग्राम राजपुर कंला, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा स्थापित/संचालित कोल्हू के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथाशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अकित सिंह)  
क्षेत्रीय अधिकारी

बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच68733/सी-3/एनजीटी/77/2021 दिनांक 29.11.2021 के माध्यम से प्राप्त मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 255/2021 अशोक कुमार बनाम कार्तिक कुमार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.11.2021 का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के संबन्ध में।

उपरोक्त विषयक के संबन्ध में आपके आदेशानुसार ग्राम राजपुर कंला में स्थापित कोल्हू का निरीक्षण दिनांक 10.12.2021 को अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय कोल्हू प्रतिनिधि के रूप में श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री श्यामसिंह उपस्थित रहे। निरीक्षण आख्या निम्नवत है:-

1. निरीक्षण में पाया गया कि कोल्हू ग्राम राजपुर कंला की आबादी से लगभग 10 मीटर की दूरी पर स्थापित एवं संचालित है।
2. कोल्हू प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि कोल्हू का संचालन उनके उनकी जमीन में किया जाता, जिसका खसरा नं0 312 है।
3. निरीक्षण के समय कोल्हू संचालित पाया गया। कोल्हू में गन्ने का प्रयोग कर गुड़ का उत्पादन किया जाता है। गन्ने के रस को पकाने हेतु भट्टी स्थापित है, जिसमें ईंधन के रूप में गन्ने की पत्ती, खोई का प्रयोग किया जाता पाया गया। स्थल पर किसी प्रकार का प्रतिबंधित ईंधन प्रयोग होता हुआ नहीं पाया गया, न ही स्थल पर भण्डारित पाया गया। भट्टी पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में सम्बद्ध चिमनी की ऊंचाई भूतल से लगभग 15 फीट है, जो मानकों के अनुरूप नहीं है।
4. उक्त कोल्हू की स्थापना राज्य बोर्ड से अनुमति प्राप्त किये बिना ही किया गया है तथा कोल्हू का संचालन राज्य बोर्ड से जल एवं वायु सहमति के बिना अवैधानिक रूप से किया जा रहा है।
5. उक्त कोल्हू संचालन के विरुद्ध पूर्व में जनसुनवाई पोर्टल व प्रशासन एवं कार्यालय में सीधे शिकायत प्राप्त होने पर कोल्हू का निरीक्षण दिनांक 05.10.2021 को कराया गया था। निरीक्षण के समय कोल्हू केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अनुरूप स्थापित नहीं पाये जाने पर कार्यालय के पत्र संख्या 554/जी-104/आईजीआरएस/एमजैडआर/2021 दिनांक 11.10.2021 के माध्यम से नोटिस निर्गत कर कोल्हू को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुरूप आबादी/शैक्षिक संस्थान, धार्मिक स्थल, अस्पताल आदि से 500 मीटर की परिधि के बाहर स्थापित किये जाने एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में भूतल से न्यूनतम 10 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त कोल्हू को दिये गये अनुपालन के संबन्ध में पुनः निरीक्षण दिनांक 12.11.2021 को किया गया। निरीक्षण के समय कोल्हू संचालक द्वारा कार्यालय से जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं पाये जाने पर कार्यालय के पत्र संख्या 690/जी-104/आईजीआर एस/एमजैड आर/2021 दिनांक 16.11.2021 द्वारा कोल्हू संचालक के विरुद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा 133 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी, जानसठ को पत्र प्रेषित किया गया था।
6. उक्त कोल्हू संचालक द्वारा नवीनतम निरीक्षण के समय भी कोल्हू आबादी के समीप संचालित किया जाता पाया गया, जिससे शिकायतकर्ता एवं आसपास के क्षेत्रवासियों को वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है।

अतः उक्त तथ्यों के दृष्टिगत श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री श्यामसिंह निवासी ग्राम राजपुर कंला, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित कोल्हू के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथाशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

  
(मनीष कुमार)  
जे0आर0एफ0

  
(विपुल कुमार)  
सहा0पर्या0अभि0

सहा0पर्या0अभि0 / क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय

दूरभाष : 0131-2436493

**उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर**  
**U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR**

6-बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर-251001 (उ०प्र०)

संदर्भ सं० 331/आइएन०२५५/अंकित कुमार/मु० नगर/२३

Ref. No.

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-3)

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

लखनऊ ।

दिनांक

Dated 05-1-2023

**विषय:** श्री देवेन्द्र पहलवान पुत्र स्व० वीरसिंह निवासी ग्राम राजपुर कंला, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित कोल्हू के विरुद्ध जारी कारण बताओं नोटिस की पुष्टि किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं० एच71594/सी-3/वायु-439/का०बा०नोटिस/मु०नगर/2022 दिनांक 14.02.2022 के द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस के संबंध में सन्दर्भित कोल्हू का स्थल निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 02.01.2023 को कराया गया निरीक्षण आख्या संलग्न है। निरीक्षण आख्या के अनुसार सन्दर्भित कोल्हू के विरुद्ध जारी कारण बताओं नोटिस का अनुपालन कोल्हू संचालक द्वारा किया जाता नहीं गया।

अतः श्री देवेन्द्र पहलवान पुत्र स्व० वीरसिंह निवासी ग्राम राजपुर कंला, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित कोल्हू के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31(ए) के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच71594/सी-3/वायु-439/का०बा०नोटिस/मु०नगर/2022 दिनांक 14.02.2022 द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अंकित सिंह)

क्षेत्रीय अधिकारी

**बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच71594/सी-3/वायु-439/का0ब0नोटिस/2022 दिनांक 14.02.2022 के माध्यम से श्री देवेन्द्र पहलवान पुत्र स्व0 वीरसिंह द्वारा संचालित कोल्हू इकाई के विरुद्ध जारी कारण बताओं नोटिस के संबन्ध में निरीक्षण आख्या।**

उपरोक्त विषयक आपके आदेशानुसार ग्राम राजपुर कंला में स्थापित कोल्हू का निरीक्षण दिनांक 02.01.2023 को अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा किया गया। उक्त कोल्हू द्वारा राज्य बोर्ड से जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.02.2022 के सम्बन्ध में अपना कोई प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त नहीं कराया गया है। निरीक्षण के समय कोल्हू प्रतिनिधि के रूप में श्री कार्तिक कुमार उपस्थित रहे। निरीक्षण आख्या निम्नवत है:-

1. निरीक्षण में पाया गया कि कोल्हू शिकायतकर्ता श्री अशोक कुमार के घर के बगल लगभग 5.0 मीटर की दूरी पर स्थापित एवं संचालित है।
2. कोल्हू प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि कोल्हू का संचालन उनके पिता श्री देवेन्द्र पहलवान पुत्र स्व0 वीरसिंह निवासी ग्राम राजपुर कंला, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर के द्वारा किया जाता है।
3. कोल्हू श्री शुभम कुमार व श्री सागर कुमार पुत्रगण श्री जितेन्द्र कुमार की जमीन में स्थापित है, जिसका खसरा नं0 420, 427 व 434 है, जिसे श्री देवेन्द्र पहलवान पुत्र स्व0 वीरसिंह द्वारा किराये पर लेकर संचालित किया जा रहा है। कोल्हू प्रतिनिधि द्वारा किराये के संबन्ध में कोई अनुबन्ध प्रस्तुत नहीं किया गया।
4. निरीक्षण के समय कोल्हू संचालित पाया गया। कोल्हू में गन्ने का प्रयोग कर गुड़ का उत्पादन किया जाता है। गन्ने के रस को पकाने हेतु भट्टी स्थापित है, जिसमें ईंधन के रूप में गन्ने की पत्ती, खोई का प्रयोग किया जाता पाया गया, भट्टी पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में सम्बद्ध चिमनी की ऊंचाई भूतल से लगभग 15 फीट है, जो मानकों के अनुरूप नहीं है।
5. उक्त कोल्हू की स्थापना राज्य बोर्ड से अनुमति प्राप्त किये बिना ही किया गया है तथा कोल्हू का संचालन राज्य बोर्ड से जल एवं वायु सहमति प्राप्त किये बिना अवैधानिक रूप से किया जा रहा है।
6. कोल्हू केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइड लाइन के विपरीत स्थापित कर संचालित किया जा रहा है।
7. उक्त कोल्हू संचालन के विरुद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष एकजीक्यूशन एप्लिकेशन 40/22 अशोक कुमार बनाम कार्तिक कुमार व अन्य में विचाराधीन है।
8. नवीनतम निरीक्षण के समय कोल्हू संचालक द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत कारण बताओ नोटिस का अनुपालन किये बिना ही कोल्हू का संचालन किया जा रहा है, उक्त कोल्हू आबादी के समीप संचालित होने से आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है।

अतः उक्त तथ्यों के दृष्टिगत श्री देवेन्द्र पहलवान पुत्र स्व0 वीरसिंह निवासी ग्राम राजपुर कंला, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित कोल्हू के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय से निर्गत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथाशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओं नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय प्रेषित किया जाना उचित है।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

  
(दिवाकर देव गहलौत )  
जे0आर0एफ0

  
(इमरान अली)  
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी





क्षेत्रीय कार्यालय  
**उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर**  
**U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR**  
 6-बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर-251001 (उ०प्र०)

संदर्भ सं०  
 Ref. No.  
 सेवा में,

824 अशोक कुमार मुजफ्फरनगर/2021

दिनांक  
 Dated 16-12-2021

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)  
 उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
 लखनऊ ।

**विषय:—बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच68733/सी-3/एनजीटी/77/2021 दिनांक 29.11.2021 के माध्यम से प्राप्त मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० संख्या 255/2021 अशोक कुमार बनाम कार्तिक कुमार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.11.2021 का अनुपालन के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है उक्त प्रकरण आबादी के समीप कोल्हू संचालित होने के कारण वायु प्रदूषण के संबंध में है। तत्कम में कार्यालय द्वारा कोल्हू का निरीक्षण दिनांक 10.12.2021 कराया गया। निरीक्षण आख्या के अनुसार शिकायती कोल्हू श्री देवेन्द्र पहलवान पुत्र स्व० वीरसिंह निवासी ग्राम राजपुर कंला, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा श्री शुभम कुमार व श्री सागर कुमार पुत्रगण श्री जितेन्द्र कुमार की जमीन पर किराये से कोल्हू का संचालन किया जा रहा है, जो शिकायतकर्ता श्री अशोक कुमार के घर के बगल में लगभग 5.0 मीटर की दूरी पर स्थापित/संचालित है, जिस कारण शिकायतकर्ता को वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है।

उक्त कोल्हू संचालन के विरुद्ध पूर्व में जनसुनवाई पोर्टल व प्रशासन एवं कार्यालय में सीधे शिकायते प्राप्त होने पर कोल्हू का निरीक्षण दिनांक 05.10.2021 को कराया गया था। निरीक्षण के समय कोल्हू केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अनुरूप स्थापित नहीं पाये जाने पर कार्यालय के पत्र संख्या 554/जी-104/आईजीआरएस/एमजैडआर/2021 दिनांक 11.10.2021 (प्रति संलग्न) के माध्यम से नोटिस निर्गत कर कोल्हू को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुरूप आबादी/शैक्षिक संस्थान, धार्मिक स्थल, अस्पताल आदि से 500 मीटर की परिधि के बाहर स्थापित किये जाने एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में भूतल से न्यूनतम 10 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त कोल्हू को दिये गये अनुपालन के संबंध में पुनः निरीक्षण दिनांक 12.11.2021 (आख्या संलग्न) को किया गया। निरीक्षण के समय कोल्हू संचालक द्वारा कार्यालय से जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं पाये जाने पर कार्यालय के पत्र संख्या 690/जी-104/आईजीआरएस/एमजैडआर/2021 दिनांक 16.11.2021 (प्रति संलग्न) द्वारा कोल्हू संचालक के विरुद्ध सी०आर०पी०सी० की धारा 133 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी, जानसठ को पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु कोल्हू संचालक द्वारा वर्तमान तक कोल्हू को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुरूप स्थापित नहीं किया गया है। कोल्हू का संचालन राज्य बोर्ड से जल एवं वायु सहमति प्राप्त किये बिना अवैधानिक रूप से किया जा रहा है।

अतः उक्त तथ्यों के दृष्टिगत श्री देवेन्द्र पहलवान पुत्र स्व० वीरसिंह निवासी ग्राम राजपुर कंला, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा श्री शुभम कुमार व श्री सागर कुमार पुत्रगण श्री जितेन्द्र कुमार की जमीन में स्थापित कोल्हू के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथाशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

  
 (अकित सिंह)  
 क्षेत्रीय अधिकारी

बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच68733/सी-3/एनजीटी/77/2021 दिनांक 29.11.2021 के माध्यम से प्राप्त मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 255/2021 अशोक कुमार बनाम् कार्तिक कुमार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.11.2021 का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक के संबंध में आपके आदेशानुसार ग्राम राजपुर कंला में स्थापित कोल्हू का निरीक्षण दिनांक 10.12.2021 को अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय कोल्हू प्रतिनिधि के रूप में श्री कार्तिक कुमार पुत्र श्री देवेन्द्र पहलवान उपस्थित रहे। निरीक्षण आख्या निम्नवत है:-

1. निरीक्षण में पाया गया कि कोल्हू शिकायतकर्ता श्री अशोक कुमार के घर के बगल लगभग 5.0 मीटर की दूरी पर स्थापित एवं संचालित है।
2. कोल्हू प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि कोल्हू का संचालन उनके पिता श्री देवेन्द्र पहलवान पुत्र स्व0 वीरसिंह निवासी ग्राम राजपुर कंला, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर के द्वारा किया जाता है। कोल्हू श्री शुभम कुमार व श्री सागर कुमार पुत्रगण श्री जितेन्द्र कुमार की जमीन में स्थापित है, जिसका खसरा नं0 420, 427 व 434 है, जिसे किराये पर लेकर संचालित किया जा रहा है। कोल्हू प्रतिनिधि द्वारा किराये के संबंध में कोई अनुबन्ध प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. निरीक्षण के समय संचालित पाया गया। कोल्हू में गन्ने का प्रयोग कर गुड़ का उत्पादन किया जाता है। गन्ने के रस को पकाने हेतु भट्टी स्थापित है, जिसमें ईंधन के रूप में गन्ने की पत्ती, खोई का प्रयोग किया जाता पाया गया। स्थल पर किसी प्रकार का प्रतिबंधित ईंधन प्रयोग होता हुआ नहीं पाया गया, न ही स्थल पर भण्डारित पाया गया। भट्टी पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में सम्बद्ध चिमनी की ऊंचाई भूतल से लगभग 15 फीट है, जो मानकों के अनुरूप नहीं है।
4. उक्त कोल्हू की स्थापना राज्य बोर्ड से अनुमति प्राप्त किये बिना ही किया गया है तथा कोल्हू का संचालन राज्य बोर्ड से जल एवं वायु सहमति के बिना अवैधानिक रूप से किया जा रहा है।
5. उक्त कोल्हू संचालन के विरुद्ध पूर्व में जनसुनवाई पोर्टल व प्रशासन एवं कार्यालय में सीधे शिकायते प्राप्त होने पर कोल्हू का निरीक्षण दिनांक 05.10.2021 को कराया गया था। निरीक्षण के समय कोल्हू केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अनुरूप स्थापित नहीं पाये जाने पर कार्यालय के पत्र संख्या 554/जी-104/आईजीआरएस/एमजैडआर/2021 दिनांक 11.10.2021 के माध्यम से नोटिस निर्गत कर कोल्हू को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुरूप आबादी/शैक्षिक संस्थान, धार्मिक स्थल, अस्पताल आदि से 500 मीटर की परिधि के बाहर स्थापित किये जाने एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में भूतल से न्यूनतम 10 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त कोल्हू को दिये गये अनुपालन के संबंध में पुनः निरीक्षण दिनांक 12.11.2021 को किया गया। निरीक्षण के समय कोल्हू संचालक द्वारा कार्यालय से जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं पाये जाने पर कार्यालय के पत्र संख्या 690/जी-104/आईजीआरएस/एमजैडआर/2021 दिनांक 16.11.2021 द्वारा कोल्हू संचालक के विरुद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा 133 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी, जानसठ को पत्र प्रेषित किया गया था।

6. उक्त कोल्हू संचालक द्वारा नवीनतम निरीक्षण के समय भी कोल्हू आबादी के समीप संचालित किया जाता पाया गया, जिससे शिकायतकर्ता एवं आसपास के क्षेत्रवासियों को वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है।

अतः उक्त तथ्यों के दृष्टिगत श्री देवेन्द्र पहलवान पुत्र स्व० वीरसिंह निवासी ग्राम राजपुर कंला, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा श्री शुभम कुमार व श्री सागर कुमार पुत्रगण श्री जितेन्द्र कुमार की जमीन में स्थापित कोल्हू के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथाशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

(मनीष कुमार)  
जे०आर०एफ०

(विपुल कुमार)  
सहा०पर्या०अभि०

सहा०पर्या०अभि० / क्षेत्रीय अधिकारी

16.12.2021

(विपुल कुमार)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या 47595 / सी-3 / वायु-440 / का0ब0नोटिस / मु0नगर / 2022

दिनांक 14/2/22

सेवा में,

पंजीकृत

श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह द्वारा संचालित कोल्हू इकाई,  
निवासी ग्राम-कलां, तहसील-जानसठ,  
जिला-मुजफ्फरनगर।

यह कि श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह, निवासी ग्राम-कलां, तहसील-जानसठ, जिला-मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित कोल्हू जोकि गन्ने के रस का प्रयोग कर गुड़ के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह, निवासी ग्राम-कलां, तहसील-जानसठ, जिला-मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित कोल्हू के विरुद्ध प्राप्त शिकायत के कम में कोल्हू स्थल का क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर के अधिकारियों द्वारा दिनांक 10.12.2021 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय कोल्हू संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि कोल्हू आबादी से लगभग 10 मी० की दूरी पर स्थापित व संचालित है। गन्ने के रस को पकाने हेतु भट्ठी स्थापित है, जिसमें ईंधन के रूप में खोई, गन्ने की पत्ती आदि का प्रयोग किया जाता पाया गया। वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में भट्ठी से सम्बद्ध चिमनी भूतल से लगभग 15 फीट स्थापित है, जो मानकों के अनुरूप नहीं है, जिस कारण आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या व्याप्त होना स्वाभाविक है। उक्त कोल्हू केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा कोल्हू स्थापना के सम्बन्ध में निर्धारित गाइड लाइन्स के विपरीत है। उक्त कोल्हू संचालन के विरुद्ध पूर्व में शिकायत प्राप्त होने पर कोल्हू का निरीक्षण दिनांक 05.10.2021 को किया गया था। निरीक्षण आख्या के आधार पर कोल्हू संचालक को क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पत्र दिनांक 11.10.2021 के माध्यम से नोटिस प्रेषित कर कोल्हू की स्थापना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार आबादी/शैक्षिक संस्थान/धार्मिक स्थल/अस्पताल आदि से 500 मीटर की परिधि से बाहर स्थापित करने एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में भूतल से न्यूनतम 10 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त कोल्हू संचालक द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन के संबंध में पुनः निरीक्षण दिनांक 12.11.2021 के समय किया जाता नहीं पाया गया। उक्त कोल्हू संचालक द्वारा नवीनतम निरीक्षण के समय भी कोल्हू आबादी के समीप संचालित किया जाता पाया गया, जिससे शिकायतकर्ता एवं आसपास के क्षेत्रवासियों को वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। कोल्हू की स्थापना राज्य बोर्ड से अनुमति प्राप्त किये बिना ही किया गया है तथा कोल्हू का संचालन राज्य बोर्ड से सहमति के बिना अवैधानिक रूप से किया जा रहा है। इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन है।

यह कि श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह, निवासी ग्राम-कलां, तहसील-जानसठ, जिला-मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित कोल्हू वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन कर आस-पास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31 (ए) के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह, निवासी ग्राम-कलां, तहसील-जानसठ, जिला-मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित कोल्हू को सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह, निवासी ग्राम-कलां, तहसील-जानसठ, जिला-मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित कोल्हू की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया बन्द कर दी जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह, निवासी ग्राम-कलां, तहसील-जानसठ, जिला-मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित कोल्हू को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

.....2/-

टी०सी०-12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

T.C-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

ई-मेल-[info@uppcb.com](mailto:info@uppcb.com)

e-mail: [info@uppcb.com](mailto:info@uppcb.com)


वेब साइट [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com)

Web site [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com)

(2)


उपरोक्त के सम्बन्ध में पूर्ण स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
2. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, विद्युत वितरण खण्ड, मुजफ्फरनगर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में इकाई का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

o/c J. S. Ag.



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या H 77594 / सी-3 / वायु-439 / का0ब0नोटिस / मु0नगर / 2022

दिनांक 14/2/22

सेवा में,

पंजीकृत

श्री देवेन्द्र पहलवान पुत्र स्व0 वीरसिंह द्वारा संचालित कोल्हू इकाई,  
निवासी ग्राम-कलां, तहसील-जानसठ,  
जिला-मुजफ्फरनगर।

यह कि श्री देवेन्द्र पहलवान पुत्र स्व0 वीरसिंह, निवासी ग्राम राजपुर कलां, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा श्री शुभम कुमार व श्री सागर कुमार पुत्रगण श्री जितेन्द्र कुमार की जमीन में स्थापित/संचालित कोल्हू जोकि गन्ने के रस का प्रयोग कर गुड़ के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि श्री देवेन्द्र पहलवान पुत्र स्व0 वीरसिंह, निवासी ग्राम राजपुर कलां, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा श्री शुभम कुमार व श्री सागर कुमार पुत्रगण श्री जितेन्द्र कुमार की जमीन में स्थापित/संचालित कोल्हू के विरुद्ध प्राप्त शिकायत के क्रम में कोल्हू स्थल का क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर के अधिकारियों द्वारा दिनांक 10.12.2021 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय कोल्हू संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि कोल्हू शिकायतकर्ता के घर के बगल लगभग 10 मी0 की दूरी पर स्थापित व संचालित है। गन्ने के रस को पकाने हेतु भट्टी स्थापित है, जिसमें ईंधन के रूप में खोई, गन्ने की पत्ती आदि का प्रयोग किया जाता पाया गया। वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में भट्टी से सम्बद्ध चिमनी भूतल से लगभग 15 फीट स्थापित है, जो मानकों के अनुरूप नहीं है, जिस कारण आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या व्याप्त होना स्वाभाविक है। उक्त कोल्हू केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा कोल्हू स्थापना के सम्बन्ध में निर्धारित गाइड लाइन्स के विपरीत है। उक्त कोल्हू संचालन के विरुद्ध पूर्व में शिकायत प्राप्त होने पर कोल्हू का निरीक्षण दिनांक 05.10.2021 को किया गया था। निरीक्षण आख्या के आधार पर कोल्हू संचालक को क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पत्र दिनांक 11.10.2021 के माध्यम से नोटिस प्रेषित कर कोल्हू की स्थापना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार आबादी/शैक्षिक संस्थान/धार्मिक स्थल/अस्पताल आदि से 500 मीटर की परिधि से बाहर स्थापित करने एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में भूतल से न्यूनतम 10 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त कोल्हू संचालक द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन के संबंध में पुनः निरीक्षण दिनांक 12.11.2021 के समय किया जाता नहीं पाया गया। उक्त कोल्हू संचालक द्वारा नवीनतम निरीक्षण के समय भी कोल्हू आबादी के समीप संचालित किया जाता पाया गया, जिससे शिकायतकर्ता एवं आसपास के क्षेत्रवासियों को वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। कोल्हू की स्थापना राज्य बोर्ड से अनुमति प्राप्त किये बिना ही किया गया है तथा कोल्हू का संचालन राज्य बोर्ड से सहमति के बिना अवैधानिक रूप से किया जा रहा है। इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन है।

यह कि श्री देवेन्द्र पहलवान पुत्र स्व0 वीरसिंह, निवासी ग्राम राजपुर कलां, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा श्री शुभम कुमार व श्री सागर कुमार पुत्रगण श्री जितेन्द्र कुमार की जमीन में स्थापित/संचालित कोल्हू वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन कर आस-पास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

2/-

टी0सी0-12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

T.C-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

ई-मेल-info@uppcb.com

e-mail: info@uppcb.com

वेब सपाइट www.uppcb.com

Web site www.uppcb.com

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31 (ए) के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री देवेन्द्र पहलवान पुत्र स्व० वीरसिंह, निवासी ग्राम राजपुर कलां, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा श्री शुभम कुमार व श्री सागर कुमार पुत्रगण श्री जितेन्द्र कुमार की जमीन में स्थापित/संचालित कोल्हू को सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न श्री देवेन्द्र पहलवान पुत्र स्व० वीरसिंह, निवासी ग्राम राजपुर कलां, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा श्री शुभम कुमार व श्री सागर कुमार पुत्रगण श्री जितेन्द्र कुमार की जमीन में स्थापित/संचालित कोल्हू को समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया बन्द कर दी जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि श्री देवेन्द्र पहलवान पुत्र स्व० वीरसिंह, निवासी ग्राम राजपुर कलां, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा श्री शुभम कुमार व श्री सागर कुमार पुत्रगण श्री जितेन्द्र कुमार की जमीन में स्थापित/संचालित कोल्हू को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।


उपरोक्त के सम्बन्ध में पूर्ण स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
2. अधिशासी अभियंता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, विद्युत वितरण खण्ड, मुजफ्फरनगर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में इकाई का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

o/c J. A. G.



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: H.86.9.15/सी-3/वायु/440/2023

दिनांक: 06/01/2023

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री श्यामसिंह द्वारा संचालित कोल्हू इकाई,  
निवासी ग्राम राजपुर कंला, तहसील जानसठ,  
जिला मुजफ्फरनगर।

यह कि श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री श्यामसिंह, निवासी ग्राम राजपुर कंला, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित कोल्हू इकाई जोकि गन्ने का प्रयोग कर गुड़ के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री श्यामसिंह, निवासी ग्राम राजपुर कंला, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित कोल्हू इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31 ए के अन्तर्गत पत्र दिनांक-14.02.2022 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका उत्तर बोर्ड में प्राप्त नहीं है। कोल्हू इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में वर्णित इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-02.01.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि कोल्हू ग्राम की आबादी से लगभग 10 मीटर की दूरी पर स्थापित एवं संचालित है। निरीक्षण के समय कोल्हू संचालित पाया गया। कोल्हू में गन्ने का प्रयोग कर गुड़ का उत्पादन किया जाता है। गन्ने के रस को पकाने हेतु भट्टी स्थापित है, जिसमें ईंधन के रूप में गन्ने की पत्ती, खोई का प्रयोग किया जाता पाया गया। वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में सम्बद्ध चिमनी की ऊंचाई भूतल से लगभग 15 फीट है, जो मानकों के अनुरूप नहीं है, जिस कारण आस-पास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या समाप्त होना स्वाभाविक है। उक्त कोल्हू केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा कोल्हू स्थापना के संबंध में निर्धारित गाईडलाइन के विपरीत स्थापित है। कोल्हू की स्थापना राज्य बोर्ड से अनुमति प्राप्त किये बिना ही किया गया है तथा कोल्हू का संचालन राज्य बोर्ड से जल एवं वायु सहमति प्राप्त किये बिना अवैधानिक रूप से किया जा रहा है। इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन है।

यह कि श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री श्यामसिंह, निवासी ग्राम राजपुर कंला, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित कोल्हू इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1981 यथासंशोधित की धारा 31 (ए) के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री श्यामसिंह, निवासी ग्राम राजपुर कंला, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित कोल्हू इकाई को बोर्ड के पत्र संख्या- एच 71595/सी-3/वायु-440/का.ब.नोटिस/मु.नगर/2022, दिनांक-14.02.2022 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के निर्देशों की पुष्टि कर निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं:-

1. यह कि श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री श्यामसिंह, निवासी ग्राम राजपुर कंला, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित कोल्हू इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया बन्द कर दें।

- 2- यह कि सक्षम प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री श्यामसिंह, निवासी ग्राम राजपुर कंला, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित कोल्हू इकाई को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।  
सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

*अभिषेक त्रिपाठी*  
06/11/23  
(अभिषेक त्रिपाठी)  
प्रभारी, वृत्त-3

**प्रतिलिपि**—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया संबंधित अधीनस्थ को इकाई श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री श्यामसिंह, निवासी ग्राम राजपुर कंला, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित कोल्हू इकाई को तत्काल बन्दी कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया संबंधित अधीनस्थ को इकाई श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री श्यामसिंह, निवासी ग्राम राजपुर कंला, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित कोल्हू इकाई को तत्काल बन्दी कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, विद्युत वितरण खण्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ कि कृपया इकाई श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री श्यामसिंह, निवासी ग्राम राजपुर कंला, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित कोल्हू इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराना सुनिश्चित करें।
4. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ कि कृपया श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री श्यामसिंह, निवासी ग्राम राजपुर कंला, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित कोल्हू इकाई की जल आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराना सुनिश्चित करें।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ कि इकाई श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री श्यामसिंह, निवासी ग्राम राजपुर कंला, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित कोल्हू इकाई की बन्दी सुनिश्चित कराये तथा अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

*अभिषेक त्रिपाठी*  
06/11/23  
प्रभारी, वृत्त-3

o/c *[Signature]*



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: H.8.6.9.1.6 / सी-3 / वायु / 439 / 2023

दिनांक: 06/01/2023

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स श्री देवेन्द्र पहलवान पुत्र स्व० वीर सिंह द्वारा संचालित कोल्हू इकाई,  
निवासी ग्राम राजपुर कंला, तहसील जानसठ,  
जिला मुजफ्फरनगर।

यह कि श्री देवेन्द्र पहलवान पुत्र स्व० वीर सिंह, निवासी ग्राम राजपुर कंला, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा श्री शुभम कुमार व श्री सागर कुमार पुत्रगण श्री जितेन्द्र कुमार की जमीन में स्थापित/संचालित कोल्हू इकाई जोकि गन्ने का प्रयोग कर गुड़ के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि श्री देवेन्द्र पहलवान पुत्र स्व० वीर सिंह, निवासी ग्राम राजपुर कंला, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा श्री शुभम कुमार व श्री सागर कुमार पुत्रगण श्री जितेन्द्र कुमार की जमीन में स्थापित/संचालित कोल्हू इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31 ए के अन्तर्गत पत्र दिनांक-14.02.2022 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका उत्तर बोर्ड में प्राप्त नहीं है। कोल्हू इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में वर्णित इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-02.01.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि कोल्हू शिकायतकर्ता के घर के बगल लगभग 5 मीटर की दूरी पर स्थापित एवं संचालित है। निरीक्षण के समय कोल्हू संचालित पाया गया। कोल्हू में गन्ने का प्रयोग कर गुड़ का उत्पादन किया जाता है। गन्ने के रस को पकाने हेतु भट्टी स्थापित है, जिसमें ईंधन के रूप में गन्ने की पत्ती, खोई का प्रयोग किया जाता पाया गया। वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में सम्बद्ध चिमनी की ऊंचाई भूतल से लगभग 15 फीट है, जो मानकों के अनुरूप नहीं है, जिस कारण आस-पास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या समाप्त होना स्वाभाविक है। उक्त कोल्हू इकाई के विरुद्ध मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष एकजीक्यूशन एप्लिकेशन-40/22 अशोक कुमार बनाम कार्तिक कुमार व अन्य योजित है, जोकि विचाराधीन है। उपरोक्त कोल्हू इकाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा कोल्हू स्थापना के संबंध में निर्धारित गाईडलाइन के विपरीत स्थापित है। कोल्हू की स्थापना राज्य बोर्ड से अनुमति प्राप्त किये बिना ही किया गया है तथा कोल्हू का संचालन राज्य बोर्ड से जल एवं वायु सहमति प्राप्त किये बिना अवैधानिक रूप से किया जा रहा है। इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन है।

यह कि श्री देवेन्द्र पहलवान पुत्र स्व० वीर सिंह, निवासी ग्राम राजपुर कंला, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा श्री शुभम कुमार व श्री सागर कुमार पुत्रगण श्री जितेन्द्र कुमार की जमीन में स्थापित/संचालित कोल्हू इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1981 यथासंशोधित की धारा 31 (ए) के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त श्री देवेन्द्र पहलवान पुत्र स्व० वीर सिंह, निवासी ग्राम राजपुर कंला, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा श्री शुभम कुमार व श्री सागर कुमार पुत्रगण श्री जितेन्द्र कुमार की जमीन में स्थापित/संचालित कोल्हू इकाई को बोर्ड के पत्र संख्या- एच 71594/सी-3/वायु- 440/का.ब.नोटिस/मु.नगर/2022, दिनांक-14.02.2022 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के निर्देशों की पुष्टि कर निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं:-

1. यह कि श्री देवेन्द्र पहलवान पुत्र स्व० वीर सिंह, निवासी ग्राम राजपुर कंला, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा श्री शुभम कुमार व श्री सागर कुमार पुत्रगण श्री जितेन्द्र कुमार की जमीन में स्थापित/संचालित कोल्हू इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया बन्द कर दें।

2. यह कि सक्षम प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि श्री देवेन्द्र पहलवान पुत्र स्व0 वीर सिंह, निवासी ग्राम राजपुर कंला, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा श्री शुभम कुमार व श्री सागर कुमार पुत्रगण श्री जितेन्द्र कुमार की जमीन में स्थापित/संचालित कोल्हू इकाई को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

*अभिषेक त्रिपाठी*  
06/11/23  
(अभिषेक त्रिपाठी)  
प्रभारी, वृत्त-3

**प्रतिलिपि**—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया संबंधित अधीनस्थ को इकाई श्री देवेन्द्र पहलवान पुत्र स्व0 वीर सिंह, निवासी ग्राम राजपुर कंला, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा श्री शुभम कुमार व श्री सागर कुमार पुत्रगण श्री जितेन्द्र कुमार की जमीन में स्थापित/संचालित कोल्हू इकाई को तत्काल बन्दी कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया संबंधित अधीनस्थ को इकाई श्री देवेन्द्र पहलवान पुत्र स्व0 वीर सिंह, निवासी ग्राम राजपुर कंला, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा श्री शुभम कुमार व श्री सागर कुमार पुत्रगण श्री जितेन्द्र कुमार की जमीन में स्थापित/संचालित कोल्हू इकाई को तत्काल बन्दी कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, विद्युत वितरण खण्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ कि कृपया इकाई श्री देवेन्द्र पहलवान पुत्र स्व0 वीर सिंह, निवासी ग्राम राजपुर कंला, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा श्री शुभम कुमार व श्री सागर कुमार पुत्रगण श्री जितेन्द्र कुमार की जमीन में स्थापित/संचालित कोल्हू इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराना सुनिश्चित करें।
4. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ कि कृपया श्री देवेन्द्र पहलवान पुत्र स्व0 वीर सिंह, निवासी ग्राम राजपुर कंला, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा श्री शुभम कुमार व श्री सागर कुमार पुत्रगण श्री जितेन्द्र कुमार की जमीन में स्थापित/संचालित कोल्हू इकाई की जल आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराना सुनिश्चित करें।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ कि इकाई श्री देवेन्द्र पहलवान पुत्र स्व0 वीर सिंह, निवासी ग्राम राजपुर कंला, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा श्री शुभम कुमार व श्री सागर कुमार पुत्रगण श्री जितेन्द्र कुमार की जमीन में स्थापित/संचालित कोल्हू इकाई की बन्दी सुनिश्चित करायें तथा अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

*अभिषेक त्रिपाठी*  
06/11/23  
प्रभारी, वृत्त-3

o/c *[Signature]*

सेवा में

क्षेत्रीय अधिकारी  
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
6-बी, नई मण्डी  
मुजफ्फरनगर

महोदय,

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ के पत्र सं० 06915/सी-3/वायु/440/2023 दिनांक 06.01.2023 द्वारा प्रार्थी के कोलहू को बन्दी आदेश जारी किया गया है, जो कि आपके कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 06.01.2023 में प्रार्थी को प्राप्त कराया गया है।  
इसके सम्बन्ध में बताया है कि प्रार्थी का कोलहू विगत दिनों से बन्द चल रहा है। प्रार्थी आपको आश्चर्य करवा है कि आपके विभाग द्वारा जारी बन्दी आदेश का अनुपालन करके हुए में द्वारा कोलहू का संचालन तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि आपके विभाग द्वारा अनुमति प्रदान नहीं कर दी जाती है।

दिनांक - 06.01.2023

राजपाल

प्रार्थी

राजपाल सिंह पुत्र श्री राम सिंह  
ग्राम - राजपुर कला, तहसी - जानसठ  
मु० न०

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी  
उच्च प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
6-वीं नई मंजी  
मुजफ्फरनगर

महोदय,

उच्च प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या 86915/सी-3/वायु/440/2023 दिनांक 06.01.2023 द्वारा प्रार्थी के कोल्टू को बन्दी आदेश जारी किया गया है जो कि आपके कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 06.01.2023 में प्रार्थी को प्राप्त कराया गया है। इसके सम्बन्ध में बताया है कि प्रार्थी का कोल्टू विगत दिनों से बन्द चल रहा है। प्रार्थी आपको आवस्त करवा है कि आपके विभाग द्वारा जारी बन्दी आदेश का अनुपालन करते हुए मेरे द्वारा कोल्टू का संचालन तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि आपके विभाग द्वारा अनुमति प्रदान नहीं कर दी जाती है।

दिनांक - 06.01.2023

देवेन्द्र  
प्रार्थी

देवेन्द्र पहलवान पुत्र स्व. वीर सिंह  
ग्राम - राजपुर कला, तहसी - जानसठ  
मु० नं०